<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003842016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-300/16</u> संस्थापित दिनांक-23.08.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	:-
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—धर्मेंद्र अहिरवार	पुत्र नत्थू अहिरवार उम्र 20 साल
निवासी मातामड़ चंदेरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।ं

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 21.03.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहतगण से

राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 279 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी प्रकाश अहिरवार ने दिनांक 29.06.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह व उसकी पत्नी सखीबाई व उसका भतीजा राजू मोटरसाईकिल से सोदा लेने के लिए चंदेरी आए थे। जब चंदेरी वे तीनों मोटरसाईकिल से वापस गांव जा रहे थे समय करीब पौने पांच बजे होंगे कि जब वे छात्रावास के पास पहुंचे कि उसी समय एक आपे वाला फतेहाबाद तरफ से बडी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे वे गिर पडे और उन तीनों को चोट आईं। मौके पर आसपास के लोग इकटठे हो गए। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 301/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 29.06.16 को समय 16.45 बजे मुंगावली रोड छात्रावास के सामने आम रोड चंदेरी में वाहन आटो आपे क्रमांक एम पी 67 आर 0180 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 प्रकाश, अ.सा. 02 सखीबाई, अ.सा. 03 राजू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 प्रकाश ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को छात्रावास के पास अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाईकिल से उन्हें टक्कर मार दी थी जिससे उसे व सखीबाई को चोट आई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी मोटरसाईकिल चला रहा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा. 02 सखीबाई एवं अ.सा. 03 राजू ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाईकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाया गया था। उक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा ही मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को ओरोपी द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)